

1. वाद नम्बर श्री O.P.L. द्वारा प्रस्तुत किया गया।
2. वाद शब्दर मिश्र व प्रस्तुत किया है।
3. वाद श्रवणाधिकार क्षेत्र का है।
4. नियमानुसार कोई फीस पर है।
5. प्रतिवादी पक्ष का पूर्ण पता अंकित है।
6. प्रतिवादी पक्ष के पर्याप्त सम्मन एवं पर्याप्त वाद की प्रति संलग्न की हैं।
7. पर्याप्त हेतुक दर्शाया गया है।
8. वाद पत्र के साथ नवीनतम/आवश्यक राजस्व रेकार्ड संलग्न है।

रिपोर्ट श्रोमन् की सेवामें पेश है।

रिपोर्ट लिपिक

19-9-19 वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरूर रामनग तलब किया जावे। पत्रावली वाले जवाब दिनांक 15-10-19 का पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

लालजीराम

05/10/19 पत्रावली पेश हुई वकील कादी उपस्थित, प्रतिवादी लालजीराम स्वयं उपस्थित हुई हुआ एवं वाद के तथ्यों के सही होने की तर्जुमा की एवं बताया कि प्रार्थी के पिता का कुल नाम कंवरीया है जो कुल से कंवरीया ही है जन्मा है, वकील वादी ने जन्म साक्ष्य की प्रस्तुत किए हैं जन्म नाम शुद्ध किया जाने के आदेश दिए जाते हैं। जिसका प्रथम से सुना लिखा शामिल पत्रावली किया जाहेगा। पत्रावली फिल शुभ होकर नम्बर से कर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़